

2014
31 दिसम्बर 2013 की स्थिती के अनुसार अचल संपत्ति का विवरण।

अधिकारी का पूरा नाम:- श्री / श्रीमती / कु. RAMESH SHARMA वर्तमान वेतन:- 22150 सेवा पंजिका क्रमांक:- 7791
वर्तमान पद:- Deputy Director (22050+5500) तैनाती स्थान / क्षेत्र:- R.O Mumbai

उस जिले, उप खंड, तालुका तथा गांव का नाम जहां संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		निर्माण का मूल्य / उपार्जन (घर के लिए खरीदी भूमि सहित) तथा खरीदा हुआ वर्ष	वर्तमान मूल्य *	यदि अपने नाम नहीं हो तो बताएं कि किसके नाम में है तथा कर्मचारी से उसका संबंध	अर्जन की तारीख तथा उन व्यक्तियों के नाम जिनसे संपत्ति प्राप्त हुई। साथ में यह भी बतायें कि किस प्रकार अर्जित की गई यानी क्रय द्वारा पट्टे** पर बंधक रूप में, दान के रूप में प्राप्त हुई।	संपत्ति से होने वाली वार्षिक आय।	अभ्युक्तियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
(i) SURAT (Gujarat)	FLAT NO. 803, - Residential 'SKY VIEW', Aai Mata Road, Parvat Pateya, SURAT-395010	-/-	-/-	15,700,000/- (Approx)	Self	Purchased from M/s Sai Ram Developers, SURAT on 04/11/2009 for Rs. 12,94,055/-	-/-	Possession taken over in June, 2012.
(ii) Thane (Maharashtra)	3A, 302 Paradise city, Residential Palghar (West) THANE	-/-	-/-	30,00,000/- (Approx)	Self	Purchased from M/S HDIL Bandra - M/2 (E), Mumbai on 25/04/2012 for Rs. 13,91,575/-	-/-	Possession is yet to be given by the builder (water constn.)

हस्ताक्षर:- [Signature]
दिनांक:- 25/5/2010

रमेश शर्मा/RAMESH SHARMA

उप-निदेशक/DY DIRECTOR

टिप्पणी: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 18(1) के अन्तर्गत सेवा में पहली नियुक्ति के समय तथा इसके बाद प्रति 12 माह बाद प्रथम तथा, द्वितीय श्रेणी की सेवा के प्रत्येक सदस्य द्वारा और प्रबंधक श्रेणी - 2 / समकक्ष सुरक्षा अधिकारी आदि द्वारा यह घोषणापत्र भरा जाना और प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसमें ऐसी सभी अचल संपत्ति का पूरा विवरण दिया जाएगा जिसके वे मालिक हों या उसका उन्होंने अर्जन किया हो या जिसको उन्होंने अपने नाम में या जो उनके नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में पट्टे पर या बंधक के रूप में धारित की जा रही हो।

* जिन मामलों में संपत्ति का सही-मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है, वहां वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में निकटतम मूल्य निर्दिष्ट कर दिया जाये। ** इसमें अल्पकालिक पट्टा भी शामिल है।

विवरण में 'पिछले वर्ष के समान' या 'कोई परिवर्तन नहीं' या 'शून्य' जैसे पट्टबंधों का प्रयोग ना करें।
यदि किसी अधिकारी के पास किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है तो वह इस बात की स्पष्ट घोषणा करें।

वेबसाइट की लिंक जरी का प्रकथन.....
Website Corroboratory.....
जायरी सं. / Duty No. 82
दिनांक / Date 13/05/16